



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार कर तस्करी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार कर तस्करी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को गिरफ्तार कर लिया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त मुनेश उर्फ मनीश जो अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से आन्ध्रप्रदेश राज्य से गांजा लाकर बांदा व आसपास के जिलों में तस्करी करता था व अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करता था । जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां पर पर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था जिसे थाना कालिंजर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाला मोड थाना कालिंजर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुनेश उर्फ मनीश पुत्र निर्भय निवासी बरुआ पुरा थाना रक्सा जनपद झांसी ।

आपराधिक इतिहास मुनेश-

- मु0अ0सं0 03/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 419/420/467/468/471/120B भादवि थाना गिरवां बांदा ।
- मु0अ0सं0 351/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम थाना गिरवां जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कालिंजर श्री दारा सिंह
2. कां0 गौरव कुमार
3. कां0 सुशील तिवारी